न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील /टीए/1167/2005/भरतपुर

1– मदन पुत्र मानसिंह जाति माली निवासी ग्राम नगलारामरतन तहसील नगर जिला भरतपुर।

–अपीलांट

बनाम

1– मोहन पुत्र मूला जाति माली निवासी नगला रामरतन तहसील नगर जिला भरतपुर।

2– हरप्रसाद पुत्र मूला जाति माली निवासी ग्राम नगला रामरतन तहसील नगर जिला भरतपुर।

3– बाबूलाल पुत्र मानसिंह

4– किशनप्यारी बेवा पूरन

5– सेवकराम पुत्र पूरन

6– विजेन्द्र पुत्र पूरन (मृतक)

7– गिरधारी पुत्र पूरन

8– भावसिंह पुत्र मानसिंह जाति माली निवासी ग्राम नगला रामरतन तहसील नगर जिला भरतपुर।

9– तहसीलदार तहसील नगर जिला भरतपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता अपीलांट

श्रीमती पूनम माथुर, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 13.06.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग

द्वारा अपील संख्या 146/2001 बउनवानी मदन व अन्य बनाम मोहन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट/प्रतिवादी व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 9 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 53 एवं 54 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 3 रकबा 0.66 है0, खसरा संख्या 5 रकबा 0.07 है0, ख.सं. 6 रकबा 0.62 है0, ख.सं. 77 रकबा 0.27 है0, ख.सं. 122 रकबा 0.79 है0, ख.सं. 123 रकबा 0.34 है0, ख.सं. 144 रकबा 0.60 है0, ख.सं. 341 रकबा 0.63 है0 कुल किता 3 रकबा 4.844 है0 वाकै ग्राम नगला रामरतन तहसील नगर में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में खसरा संख्या 3 रकबा 0.66 है0, ख.सं. 123 रकबा 0.34 है0, ख.सं. 341 रकबा 0.63 है0 पर वादी का कब्जा काश्त है। अतः उक्त आराजी का वादी को सालिम खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें अथवा वादग्रस्त आराजी में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2001 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03—01—2005 द्वारा खारिज कर दिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है ।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी कारण के अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अबेट होना मानकर खारिज करने में त्रुटि कारित की

है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 संख्या 6 अपीलीय न्यायालय में तरतीबी रेस्पो0 था तथा तरतीबी रेस्पो0 की मृत्यु पर अपील अबेट नहीं की जा सकती है। रेस्पो0 संख्या 6 अधी0न्याया0 में मृतक पूरन के वारिस की हैसियत से दर्ज था । उसने दावे को कन्टेस्ट नहीं किया था और ना ही दावे में जवाबदावा प्रस्तुत किया था, इसलिए रेस्पो0 संख्या 6 के कायम मुकाम को अभिलेख पर लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी तथा आदेश 22 नियम 4 (4) सीपीसी के तहत रेस्पो0 संख्या 6 के वारिसों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालय ने अपील को अबेट होने के आधार पर निरस्त किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय में अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि मृतक विजेन्द्र रेस्पो0 संख्या 6 ने दावे को कन्टेस्ट नहीं किया था तथा ना ही दावे में कोई आपत्ति की थी इसलिए उसके वारिसान को अपील में पक्षकार बनाए जाने से मुक्ति प्रदान करते हुए अपील का निस्तारण किया जावें किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है, जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पूरन के वारिस रेस्पो0 संख्या 4 किशनप्यारी, रेस्पो0 संख्या 5 सेवकराम , रेस्पो0 संख्या 7 गिरधारी पूर्व से ही रिकार्ड पर थे इसलिए अपील अबेट नहीं की जा सकती थी तथा विवादित भूमि पैतृक भूमि नहीं है इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालय ने विवादित भूमि को पैतृक भूमि मानकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। विवादित भूमि संवत् 2012 से पूर्व अपीलांट के पिता मानसिंह के कब्जे काश्त की भूमि थी जिस पर अपीलांट के पिता को धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे, जिसके पश्चात् से अपीलांट के पिता खातेदार एवं काश्तकार दर्ज चले आ रहे थे। वादी/रेस्पो0 ने जिन तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया था वह तथ्य वादी ने साबित नहीं किए थे तथा वादी ने अपनी किसी भी साक्ष्य से यह साबित नहीं कराया था कि उसके पिता मूला की मृत्यु के समय वादी रेस्पो0 संख्या 1 नाबालिग था। जबकि अपीलांट ने अपनी साक्ष्य से यह साबित कर दिया था कि जिस समय मूला का स्वर्गवास हुआ उस समय इन दोनों की शादी हो चुकी थी तथा इनका आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं था तथा ना ही आज है। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर जो दावा डिक्री किया है, वह पूर्णतया कानून में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2005 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2001 निरस्त किया जावें तथा दावा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2012 (2) आरआरटी पेज 860, 2013(1) आरआरटी पेज 598 एससी, 2024 (2) डीएनजे राज0 पेज 593 एचसी, 1989 आरआरडी पेज 625, 2016 डीएनजे पेज 220, 2014 (2) आरआरटी पेज 1132, 2016 (2) आरआरटी पेज 1235, 2024 (2) आरआरटी पेज 1154, 2013 (1) डब्ल्यूएलसी सिविल सुप्रीम कोर्ट पेज 635, 2024 आरबीजे पेज 426 हाईकोर्ट, 2024 आरबीजे पेज 591 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।

5— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 विजेन्द्र पुत्र पूरन जाति माली का देहांत दिनांक 23.07.2001 को हो गया था जिसकी सूचना रेस्पो0 द्वारा दिनांक 23.07. 2001 को न्यायालय में दी जा चुकी थी इसके बावजूद अपीलांट ने मृतक रेस्पो0 विजेन्द्र के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की थी । विधिनुसार कायमी वारिसान की मियाद 90 दिवस है । अपीलांट द्वारा उक्त कार्यवाही समयावधि में नहीं किये जाने से अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील अबेटमेंट के आधार पर खारिज की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील खारिज की जावे ।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया ।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 मोहन द्वारा वर्तमान अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 9 के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, नगर के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् एक वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 53, 54 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत पेश किया । उक्त वाद को विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2001 के द्वारा डिक्री कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 मोहन को खसरा नंबर 3 रकबा 0.66 है0 एवं खसरा नंबर 341 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम नवाला रामरत

का खातेदार काश्तकार घोषित किया है । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई । उक्त अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थी मोहन/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 23.07.2003 को प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील हाजा में अपील दायरी के पश्चात् रेस्पो0 बिजेन्द्र पुत्र पूरन जाति माली कस्बा नगर की मृत्यु दिनांक 13.07.2001 को हो गयी है । लेकिन अपीलांट ने अभी तक मृतक बिजेन्द्र जो कि रेस्पो0 है, के वारिसान की कायमी की कार्यवाही नहीं की है । ऐसी सूरत में अपील हाजा अबेट फरमायी जावे । उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने के उपरांत अपीलांट मदन ने दिनांक 06.12.2004 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4(4) जा0दी0 पेश कर कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 6 बिजेन्द्र का स्वर्गवास हो गया है । बिजेन्द्र तहत न्यायालय में मृतक पूरन के वारिस की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 1/3/3 के रूप में दर्ज था जिसके द्वारा दावे में कोई आपत्ति नहीं की गई थी इसलिये उसके वारिसान को अपील में पक्षकार बनाये जाने से अपीलांट को मुक्त करते हुए अपील का निस्तारण किया जावे । मृतक बिजेन्द्र रेस्पो0 संख्या 6 ने दावे को कन्टेस्ट नहीं किया था इसलिये उसके स्वर्गवास के बाद अपील रेस्पो0 संख्या 6 बिजेन्द्र की मृत्यु होने से अबेट नहीं होती है । अतः रेस्पो0 द्वारा दिनांक 23.07.2003 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए रेस्पो0 संख्या 6 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने से मृक्त करते हुए अपील का निस्तारण किया जावे । राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2003 अंतर्गत आदेश 22 नियज 4 जा0दी0 पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03.01.2005 के द्वारा अपीलांट की अपील अबेट होने के आधार पर खारिज की है ।

9— इस संबंध में पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 53, 54 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत अपीलांट एवं शेष तरतीबी रेस्पो0 के विरूद्ध पेश किया गया था जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2001 को स्वीकार कर डिक्री किया है । इससे स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ—साथ बंटवारे का भी था । विधिनुसार बंटवारे का वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में विद्वान

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2016 पेज 220 में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि–**''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53–सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 22 नियम 4–विभाजन हेतु वाद–प्रतिवादिया सं0 6 'जी' की मृत्यु–वाद उपशमित होने से खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया–विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज किया–विभाजन हेतु वाद अबेट नहीं होता है और विभाजन तक वाद हेतुक उत्त्रजीवित रहता है–निर्णीत, आदेश में तात्विक अवैधता या अनियमितता नहीं है व यथावत् रखा ।''**

इसी प्रकार आर0आर0टी0 2013(1) पेज 599 में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि –**''सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 22, नियम 4 (4) व 9–उपशमन–घोषणा, विभाजन व निषेधाज्ञा हेतु वाद–एक प्रतिवादी 'वी' की मृत्यु हुई–विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन न करने से वाद उपशमित हुआ– 'वी' के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही तथा जवाबदावा पेश नहीं किया–ऐसे प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन से छूट दी जा सकती है और प्रतिस्थापन से छूट हेतु न्यायालय को शक्ति प्राप्त है–निचले न्यायालयों ने सही निर्णीत किया कि वाद उपशमित नहीं हुआ–निर्णीत, अपील असफल हुई व खारिज की।''**

इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1132 में मत अभिनिर्धारित किया गया है कि – '' **Rajasthan Tenancy Act, 1955--Sec. 53-Suit for partition did not abate on account of death of interested party-Final decree pased after haring the parties & receipt of partition proposal-Objection on final decree are deviod of substance-Held, Interference declined.** ''

इसी प्रकार आर0बी0जे0 2024 हाई कोर्ट पेज 426 में मत अभिनिर्धारित किया गया है कि – '' **CIVIL PROCEDURE CODE 1908-Order 22 Rule 4 (4)- Where there are more then one defendants, the entire suit cannot be abated on the death of the one of the defendants.** ''

इसी प्रकार आर0बी0जे0 2024 पेज 591 में मत अभिनिर्धारित किया गया है कि – '' **CIVIL PROCEDURE CODE 1908-Order 22 Rule 4-When there are more than one defendent in the suit and if one**

defendant dies and application for bringing his LRs, on record is not filed within 90 days then suit can be abated against the defendant who died and not whole suit will not be abated because other defendants are already on record.''

10— उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विभाजन का वाद विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन न करने से उपशमित नहीं किया जा सकता है तथा मृतक पक्षकार द्वारा मृत्यु से पूर्व वाद को कंटेस्ट नहीं करने की स्थिति में ऐसे प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन से छूट दी जा सकती है । इस संबंध में अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2004 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4(4) पेश कर मृतक रेस्पो0 बिजेन्द्र के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने से मुक्त करने का निवेदन किया था । अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य था । सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 जिसमें पक्षकारों की मृत्यु होने की स्थिति में विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने अथवा वाद पत्र को उपशमित किए जाने के प्रावधान निहित किए गए हैं, उपरोक्त प्रावधानों में आदेश 22 नियम 1 का अवलोकन किया जाना प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियों के मध्यनजर अपरिहार्य हो जाता है। आदेश 22 नियम 1 सीपीसी में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि '' **No abatement by party's death, if right to sue survives,- The death of plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if the right to survives."** प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 6 बिजेन्द्र पुत्र पूरन के फौत होने की स्थिति में भी अन्य पक्षकारों के अधिकारों के सृजन के संबंध में निर्णय होना अपेक्षित है । ऐसी स्थिति में किसी एक पक्षकार के फौत होने पर संपूर्ण वाद को जरिये उपशमन खारिज किया जाना स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में होने के बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने अपील को उपशमन के आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

9— परिणामतः **अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2005 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 (4) जा0दी0 स्वीकार किया जाता है । तथा प्रकरण राजस्व**

अपील प्राधिकारी, भरतपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपील में गुणावगुण पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । अपीलांट अपीलीय न्यायालय के समक्ष संशोधित अपील मीमों पेश करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष